न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा (सवाई माधोपुर)

मु0न0:– 89/2016 तारीख रजू:–07.07.2016

पीठासीन अधिकारी :– सुशीला मीणा (आर.ए.एस.)

1. भूपाल पुत्र केसरलाल जाति खाती निवासी टापुर, जिला सवाई माधोपुर

वादी

बनाम

1. सुनील पुत्र देवीलाल नाबालिग जरिये संरक्षक माता कजोड़ी पत्नी देवीलाल जाति खाती निवासी टापुर
2. सीमा | कजोड़ी पत्नी देवीलाल जाति खाती
3. ममता | निवासी टापुर
4. कजोड़ी देवी पत्नी स्व0 देवीलाल जाति खाती निवासी टापुर, तहसील चौथ का बरवाड़ा
5. देशराज | पिसरान हनुमान जाति खाती
6. हेमराज | निवासी टापुर, तहसील चौथ का बरवाड़ा
7. सन्तरा पुत्री हनुमान | जाति खाती निवासीयान
8. छोटा देवी पत्नी स्व0 हनुमान | टापुर, तहसील चौथ का बरवाड़ा
9. सरकार जरिए तहसीलदार साहब चौथ का बरवाडा

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से एडवोकेट अब्दुल वहाब एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से श्री रामकेश मीणा एडवोकेट

दावा बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा तहत दफा 53 प 188 आर0 टी0 ए0

–:निर्णय:– निर्णय दिनांक:–23.03.2021

वादीगण द्वारा एक वादपत्र न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया है कि–

1. वादी एवं प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 8 एक ही परिवार के व्यक्ति हैं, तथा ग्राम टापुर तहसील चौथ का बरवाड़ा के रहने वाले हैं। वादी एवं प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 8 की संयुक्त काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 889 रकबा 1.00 है0, 893 रकबा 0.05 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.05 है0 ग्राम झाड़ोदा तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 का 1/3 हिस्सा एवं शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं0 5 लगायत 8 का है और संयुक्त रूप से काबिज होकर लाभ प्राप्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 निहायत ही चालाक किस्म के व्यक्ति हैं, जो अपने नाम की खातेदारी भूमि का नाजाइज फायदा उठाकर उसका किसी दीगर व्यक्ति को बेचान करना चाहते हैं, जबकि उनको बिना तकासमा करवाये संयुक्त खातेदारी भूमि के विक्रय करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी उद्देश्य की पूति में प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 ने दिनांक 07.06.2016 को अपनी हिस्से की संयुक्त कब्जेकाश्त व खातेदारी भूमि को विक्रय करने की गांव में चर्चा की तो वादी ने प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 से कहा कि अभी उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी में है। इसलिए न्यायालय से उसका तकासमा करवाने के पश्चात् ही विक्रय करे अन्यथा मौके पर [illegible] है। लेकिन प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 ने कहा कि हमारे नाम उक्त आराजीयात [illegible] 1/3 हिस्से की खातेदारी है और हम इसको विक्रय करेंगे [illegible] वह जबरदस्ती कब्जा प्राप्त कर लेगा तथा लड़ाई झगड़ा करने पर [illegible] हो गये। इसलिये वादी के लिय यह आवश्यक हो गया है कि वो विवादित आराजीयात का माननीय न्यायालय से तकासमा करवाये तथा जब तक नही तो तब तक प्रतिवादी नं0 1 लगायत [illegible] जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि वो विवादित आराजीयात का किसी अन्य को रहने बेचान या मुन्तकिल नहीं करे बस यही बिनाए दावा पैदा होकर दावा करना लाजिम आया। बिनाए दावा 07.06.2016 को अन्दर हदूद अदालते वाला पैदा होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushila Meena
Date: 2021.04.01 16:49:15 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा

Scanned with CamScanner

दावा करना लाजिम आया। दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि–

1.1 आराजीयात खसरा नंबर 889 रकबा 1.00 है0, 893 रकबा 0.05 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.05 है0 ग्राम झाड़ोदा तहसील चौथ का बरवाड़ा का विधिवत तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 8 के नाम अपने हिस्से 1/3, 1/3, 1/3 की पृथक–पृथक खातेदारी दर्ज फरमाई जाकर नक्शा ट्रेस में अंकन फरमाया जावे।

1.2 प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वो वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी भूमि का जब तक विधिवत तकासमा नहीं हो तब तक रहन, बेचान या मुन्तकिल नहीं करे।

2. वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलबी की गई।

3. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने जवाब दावा पेश कर वाद का मद नंबर 1, 2, 8 व 9 स्वीकार किया एवं मद नंबर 3, 4, 5 अस्वीकार करते हुए विशेष विवरण इस प्रकार पेश किया है कि वादी ने जिस प्रकार वाद पत्र पेश किया है वाद पत्र में क्लीन हैंड से पेश नहीं किया हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 आपस में मिले हुए हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 ने कीाी भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को विधिवत तकासमा करवाने की बात नहीं की है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 ने साझ कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को निहायत ही परेशान करने बतौर माननीय न्यायालय में निर्थक वाद पत्र पेश किया है। उक्त भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को मौके पर बंटवारा हो रखा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 उक्त भूमि का विधिवत तकासमा करवाने के लिये तत्पर हैं। क्योंकि वादपत्र के मद नंबर 2 में स्वयं वादी ने मौके पर काबिज होकर लाभ प्राप्त करना व 1/3 हिस्सा होना स्वीकार किया है।

4. इस प्रकार उभयपक्षों की लिखित सहमति वास्ते तकासमा किये जाने प्रस्तुत की जाने के कारण तनकीयात के निर्धारण की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई एवं प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए और न ही उनके द्वारा कोई जवाब पेश किया गया, जिस कारण प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

5. तत्पश्चात् 09.10.2019 को आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी कर दोनों पक्षकारान को अच्छी और बुरी से बुरी बराबर हिस्से देते हुए तकासमा स्कीम चाही गई।

6. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने प्रकरण में तकासमा स्कीम तैयार कर न्यायालय हाजा में भिजवाई।

7. प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील उभयपक्षों ने तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा द्वारा प्रेषित तकासमा स्कीम को सही मानते हुए तकासमा स्कीम के आधार पर तकासमा करने में सहमति जाहिर करते हुए तकासमा कर उसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु निवेदन किया।

8. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा से प्राप्त तकासमा स्कीम का अवलोकन किया। जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगणों का कब्जा निम्नप्रकार है–

गोपाल पुत्र केसरलाल जाति खाति नि0 टापुर	सुनील पुत्र देवीलाल, सोमा, ममता [illegible] पत्नी देवीलाल जा[illegible]	हेमराज पुत्र हनुमान [illegible]न्तरा पुत्री हनुमान छोटा देवी पत्नी स्व0 [illegible] जाति खाती
0.34 है0	[illegible]	0.33 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushila Meena
Date: 2021.04.01 16:49:15 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नंबर 893 रकबा 0.05 [illegible] वादी एवं प्रतिवादियों का कब्जा नहीं है। मौके पर रास्ता निकल रहा है। अतः यह खसरा नं [illegible] 893 रकबा 0.05 है0 संयुक्त खातेदारी में रहना उचित होगा।

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा

Scanned with CamScanner

9. अतः तहसीलदार चौथ का बरवाडा से प्राप्त तकासमा स्कीम एवं वकील वादी एवं प्रतिवादीयों की बहस के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के बीच खसरा नंबर 889 रकबा 1.00 है0 एवं 893 रकबा 0.05 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम झाड़ोदा में तकासमा स्कीम के अनुसार तकासमा किया जाना उचित उचित समझती हूं।

–:आदेश:–

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा खसरा नंबर 889 रकबा 1.00 है0 एवं 893 रकबा 0.05 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम झाड़ोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा में प्राप्त तकासमा स्कीम के अनुसार तकासमा किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक तकासमा स्कीम के राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावे। तकासमा स्कीम डिकी का अभिन्न अंग रहेगा। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करें। तदनानुसार डिकी पर्चा जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुशीला मीणा)
उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushila Meena
Date: 2021.04.01 16:49:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय उप जिला कलेक्टर स्थान चौथ का बरवाड़ा

1. गोपाल पुत्र केसरलाल खाती निवासी टापुर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

बनाम

1. सुनील पुत्र देवीलाल नाबालिग जरिये संरक्षक माता कजोड़ी देवी पत्नी देवीलाल खाती
2. सीमा पुत्री देवीलाल खाती
3. ममता पुत्री देवीलाल खाती
4. कजोड़ी देवी पत्नी स्व0 देवीलाल खाती
5. देशराज पुत्र हनुमान खाती
6. हेमराज पुत्र हनुमान खाती
7. सन्तरा पुत्री हनुमान खाती
8. छोटा देवी पत्नी स्व0 हनुमान खाती समस्त जातियान खाती निवासीयान ग्राम टापुर तहसील चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर
9. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा

नम्बर मुकदमा 89 सन् 2016

दावा बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा तहत दफा 188 आर टी ए

वादी की ओर से श्री अब्दुल वहाब एड. की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 23.03.2021 को श्रीमति सुशीला मीणा (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारें के लिए पेश होने पर आदेश किया गया जाता है और डिक्री दी जाती है कि खसरा नंबर 889 रकबा 1.00 है0 एवं 893 रकबा 0.05 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम झाड़ोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा में प्राप्त तकासमा स्कीम के अनुसार तकासमा किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक तकासमा स्कीम के राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावे। तकासमा स्कीम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

इस बाद के खर्चे लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 23.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसे
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	04	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	[illegible]	प्लीडर [illegible]	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	[illegible]	आदेशिका [illegible]	[illegible]	
6	कमिश्नर की फीस	00	[illegible]	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	05	[illegible]			
	जोड	09	00	जोड	00	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushila Meena
Date: 2021.04.01 16:49:15 IST
Reason: SelfAttested

(सुशीला मीणा)
उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

Scanned with CamScanner